संख्या-41/2023/134/22-4-2023/001-48-16-2020

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली / केन्द्रीय कारागार, बरेली (द्वितीय) के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4462/नम-2/के0का0बरेली द्वितीय(तलाशी कक्ष)/2021, दिनांक-10.02.2023, पत्र संख्या-4465/नम-2/के0का0बरेली(05 नग गोदाम)/2021, दिनांक-10.02.2023, पत्र सं0-4466/नम-2/के0का0बरेली(कन्ट्रोल रूम)/2021, दिनांक-10.02.2023 एवं पत्र संख्या-4467/नम-2/के0का0बरेली(पी0ए0सी0 आवास)/2021, दिनांक-10.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया केन्द्रीय कारागार, बरेली / केन्द्रीय कारागार, बरेली (द्वितीय) के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि रू0 30.77 लाख (रुपया तीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण / शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 | कारागार का नाम | कार्य का नाम | कार्य की कुल लागत | पूर्व स्वीकृत धनराशि | अवमुक्त किये जाने वाली प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | केन्द्रीय कारागार बरेली (द्वितीय) (पूर्व जिला कारागार बरेली) | कारागार के मुख्य द्वारा के बाहर तलाशी कक्ष का निर्माण कार्य | 12.83 | 8.195 | **3.915** |
| 2 | केन्द्रीय कारागार बरेली | कारागार के अन्दर 05 नग गोदामों का नवनिर्माण | 61.03 | 42.715 | **18.315** |
| | | कारागार के अन्दर कन्ट्रोल रूम का निर्माण | 7.44 | 5.12 | **2.32** |
| | | कारागार के अन्दर पी0ए0सी0 आवासीय भवनों का निर्माण | 20.44 | 14.22 | **6.22** |
| | | **योग-** | | | **30.77** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय, वित्तीय हस्तेपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीतकृत की जा रही है, उसका व्य य उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वी कृत धनराशि का प्रयोग एवं कार्य निर्धारित समयान्तकर्गत पूर्ण कर लिया जाय।

(5) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत नियमों, शर्तों, प्रतिबन्धों आदि के नियमानुसार पूर्णतः पालन किया एवं कराया जाए ।

(6) कार्यदायी संस्थार को जो धनराशि अवमुक्तं की जायेगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्थाक को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्याकता धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

3- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृत विषयक शासनादेश संख्या-13/2021/1075/22-4-2021-48(16)/2020, दिनांक 02-02-2021 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,77,000 ( रुपये तीस लाख सतहत्तर हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001200 कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव ।

संख्या-41/2023/134(1)22-4-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार( लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, बरेली ।

(5) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली / केन्द्रीय कारागार, बरेली (द्वितीय) ।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्तक नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(9) निजी सचिव, मा0 राज्यामंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(10) वित्ति (व्य्य नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्तर (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।